पत्रांक–3ए–9–विविध–21/2022– 8344 /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
महाधिवक्ता कार्यालय,
उच्च न्यायालय, पटना।

पटना, दिनांक : 07/09/2022

विषय :– **दिनांक–20.12.2000 के बाद अनुकम्पा या अन्य माध्यमों से निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त कर्मियों द्वारा वेतनमान 3050–4590 के स्थान पर 4000–6000 अनुमान्य किये जाने हेतु माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न वादों के संबंध में।**

महाशय,

वित्त विभागीय पत्रांक–8825, दिनांक–20.12.2000 द्वारा लिपिक संवर्ग को निम्नवर्गीय लिपिक (वेतनमान 3050–4590) एवं उच्चवर्गीय लिपिक (वेतनमान 4000–6000) में पृथक् (demerge) किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि दिनांक–20.12.2000 के बाद लिपिक संवर्ग में निम्नवर्गीय लिपिक (वेतनमान 3050–4590) में ही नियुक्ति की जाएगी।

2) दिनांक–20.12.2000 के बाद अनुकम्पा या अन्य माध्यमों से निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त कर्मियों द्वारा वेतनमान 3050–4590/– के स्थान पर 4000–6000/– की अनुमान्यता हेतु माननीय न्यायालय में विभिन्न याचिका दायर की गयी है। दायर वादों में कतिपय मामलों में सरकार के पक्ष में एवं कतिपय मामलों में वादी के पक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है तथा उक्त विषय पर दायर अनेक वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

3. 5. LPA No. 167/2016 के वादीगण की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर वर्ष 2002 में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान 3050–4590 में हुई थी। इन वादीगणों द्वारा वेतनमान 4000–6000 की अनुमान्यता हेतु माननीय न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश वादी के पक्ष में रहा। उक्त न्यायादेश के विरुद्ध वित्त विभाग द्वारा सिविल रिव्यू संख्या–236/2019 दायर किया गया है, जो सम्प्रति माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

4. एक अन्य LPA No. 100/2012 एवं LPA No. 188/2012 में दिनांक–19/02/2014 को माननीय न्यायालय का न्यायादेश राज्य सरकार के पक्ष में है। उक्त न्यायादेश के विरुद्ध वादीगण द्वारा सिविल अपील संख्या– 3965/2017 दायर किया गया है, जो सम्प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

5. समान प्रकार के एक अन्य मामले CWJC No. 3438/2019 सतीश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा, LPA No. 167/2016 में पारित आदेश को per-incuriam माना गया है।

6. LPA No. 167/2016 तथा LPA No. 100/2012 के न्यायादेश परस्पर भिन्न होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य CWJC No. 23831/2018 को लार्जर बेंच में रखे जाने का विचार करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश को रेफर किया गया है। परन्तु समविषय पर दायर दूसरे वादों में माननीय न्यायालय द्वारा LPA No. 167/2016 से covered मानते हुए न्यायादेश पारित किया किये जा रहे हैं।

7. अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित स्थिति में Larger Bench (न्यायादेश संलग्न) द्वारा इस विषय को अंतिम रूप से निष्पादित किये जाने तक समविषय पर माननीय न्यायालय में दायर वादों को abeyance पर रखे जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना से early hearing के लिए mention एवं CWJC No. 23831/2018 में सरकार का पक्ष भवदीय स्तर से रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)।

06/9/2022